केवल शासकीय प्रयोग के लिए

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का अधिनियम सं. 20) के अधीन जारी अधिसूचनाएं और विरचित नियम

(1 अक्तूबर, 1993 को यथा-विद्यमान)

भारत सरकार

राष्ट्रीय महिला आयोग

4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली -110002

विषय सूची

		पृष्ठ
1.	अधिसूचना सं. का.आ.99(अ), तारीख 31 जनवरी, 1992, जिसके द्वारा अधिनियम प्रवर्तन में लाया गया	3
2.	अधिसूचना सं. का.आ.100(अ), तारीख 31 जनवरी, 1992, जिसके द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया	3
3.	अधिसूचना सं. का.आ.2084, तारीख 29 जून, 1992, जिसके द्वारा नए सदस्य-सचिव को नामनिर्दिष्ट किया गया	3
4.	राष्ट्रीय महिला आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें) नियम, 1992	5
5.	राष्ट्रीय महिला आयोग (सहयोजित सदस्य को संदेय भत्ते) नियम, 1992	10

मानव संसाधन मंत्रालय
(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)
अधिसूचनाएं

का.आ.99(अ), तारीख, नई दिल्ली 31 जनवरी, 1992 - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 जनवरी, 1992 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[सं. एफ.9-61/90-डब्ल्यू.डब्ल्यू.]
उमा पिल्लै, संयुक्त सचिव

का.आ.100(अ), तारीख, नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1992 - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990(1990 का 20) की धारा 3 के अनुसरण में, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

1. सुश्री जयंती पटनायक, ए-1, 310, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2. सुश्री पद्मा सेठ, ई.बी.-166, माया एन्क्लेव, नई दिल्ली-110 064	सदस्य
3. सुश्री गंगा पोटई, एम.आई.जी. 54, एम.एल.ए. क्वार्टर, जवाहर चौक, भोपाल	सदस्य
4. सुश्री सुभाषिणी अली, 15/241, सिविल लाइन्स, कानपुर	सदस्य
5. सुश्री बोनोज सेनापति, सी-6/बी, डी.डी.ए. फ्लैट्स, मुनीरका, नई दिल्ली-110 067	सदस्य
6. सुश्री मोनिका दास, 13, चाणाक्यपुरी, हुबली, कर्नाटक	सदस्य
7. सुश्री उमा पिल्लै, डी-1/14, भारती नगर, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

2. अध्यक्ष और सदस्य आयोग के गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे । सुश्री उमा पिल्लै, संयुक्त सचिव (महिला विकास), महिला और बाल विकास

विभाग, अपने अधिष्ठायी प्रभार के अतिरिक्त अगले आदेश होने तक, किन्तु तीन वर्ष से अनधिक अवधि तक सदस्य सचिव का पद धारण करेंगी ।

[सं. एफ.9-61/90-डब्ल्यू.डब्ल्यू.]
मीनाक्षी आनन्द चौधरी, संयुक्त सचिव

का.आ. 2084, तारीख, नई दिल्ली, 29 जून, 1992 - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990(1990 का 20) की धारा 3 के अनुसरण में सुश्री एनी प्रसाद को तारीख 29 मई, 1992 से उमा पिल्लै के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है और इस प्रयोजनार्थ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 31 जनवरी, 1992 में प्रकाशित भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 100(अ), तारीख 31 जनवरी, 1992 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) क्रम संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्

"7. सुश्री एनी प्रसाद, भा.प्र.से.(जी.जे.63),

गुजरात भवन, चाणाक्यपुरी, नई दिल्ली सदस्य-सचिव";

(ख) पैरा 2 में, "सुश्री उमा पिल्लै, संयुक्त सचिव (महिला विकास)" से प्रारंभ होने वाले और "तीन वर्ष से अनधिक अवधि तक सदस्य सचिव का पद धारण करेंगी" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"सुश्री एनी प्रसाद, तारीख 29 मई, 1992 के अपराह्न से, अर्थात् वह तारीख जिसको उसने उक्त कार्यालय का प्रभार संभाला है, तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य सचिव का पद धारण करेंगी ।"

[सं. एफ.9-61/90-डब्ल्यू.डब्ल्यू.]
मीनाक्षी आनन्द चौधरी, संयुक्त सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग नियम

राष्ट्रीय महिला आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें) नियम, 1992

सा.का.नि. 74(अ), तारीख, नई दिल्ली 31 जनवरी, 1992 - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990(1990 का 20) की धारा 4 की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय महिला आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा-शर्तें) नियम 1992 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990(1990 का 20) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ।

3. **वेतन और भत्ते -** (1) उपनियम (2) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यक्ष को प्रति मास आठ हजार रुपए का वेतन संदत्त किया जाएगा और प्रत्येक सदस्य को प्रति मास सात हजार छह सौ रुपए का वेतन संदत्त किया जाएगा:

परन्तु जहां अध्यक्ष या कोई सदस्य सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, अर्ध-सरकारी निकायों, लोक सेक्टर उपक्रम, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान का पदाधिकारी है वहां उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या सेवांत प्रसुविधाओं का पेंशनिक मूल्य, या दोनों, सहित संदेय वेतन, अध्यक्ष की दशा में प्रति मास आठ हजार रुपए और किसी सदस्य की दशा में प्रति मास सात हजार छह सौ रुपए से अधिक नहीं होगा ।

(2) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में है तो उसका वेतन उसे लागू नियमों के अनुसार विनियमित होगा ।

4. महंगाई भत्ता - अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य केन्द्रीय सरकार के समुचित स्तर के अधिकारियों को लागू दरों पर उनके वेतन के समुचित महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे ।

5. नगर प्रतिकर भत्ता - अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य केन्द्रीय सरकार के समुचित स्तर के अधिकारियों को लागू दरों पर उनके वेतन के समुचित नगर प्रतिकर भत्ता प्राप्त करेंगे ।

6. कार्यकाल - (1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के भीतर आने वाला कोई व्यक्ति, जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा ।

(2) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, जब तक उन्हें अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन पद से हटाया नहीं जाता, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे ।

(3) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी,-

(क) ऐसा व्यक्ति, जिसने अध्यक्ष का पद धारण किया है, पुनः नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए पात्र होगा, और

(ख) ऐसा व्यक्ति, जिसने सदस्य का पद धारण किया है, सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्दिष्ट या अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने का पात्र होगा:

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जिसने किसी भी हैसियत में, सिवाय सदस्य-सचिव, दो पदावधियों के लिए पद धारण किया है, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्दिष्ट किए जाने का पात्र नहीं होगा ।

(4) यदि अध्यक्ष, बीमारी या अन्य अक्षमता के कारण अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो केन्द्रीय सरकार किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य तब तक अध्यक्ष का पद धारण करेगा जब तक कि अध्यक्ष पुनः पदभार ग्रहण नहीं करता ।

(5) यदि अध्यक्ष के पद पर उसकी मृत्यु या त्यागपत्र के कारण कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगी और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य तब तक अध्यक्ष का पद धारण करेगा जब तक वह रिक्ति अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन नए सिरे नामनिर्देशन द्वारा भरी नहीं जाती ।

7. छुट्टी - अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, निम्न प्रकार छुट्टी के हकदार होंगे:-

(क) समय-समय पर यथा-संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार अर्जित छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी:

(ख) समय-समय पर यथा-संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन अस्थायी सरकारी सेवकों को अनुज्ञेय असाधारण छुट्टी ।

8. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी - किसी सदस्य की छुट्टी मंजूर करने के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी होगा अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी होगी ।

9. यात्रा भत्ता - (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य केन्द्रीय सरकार के समूह क अधिकारियों को अनुज्ञेय उनके वेतन के समुचित दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा ।

(2) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों के संबंध में अपने बिलों की बाबत स्वयं अपना नियंत्रण अधिकारी होगा ।

10. निवास स्थान - (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, ऐसे शासकीय निवास का उपयोग करने का हकदार होगा जो भारत सरकार अवधारित करे ।

(2) यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य को उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट निवास स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता है या वह स्वयं उसका उपभोग नहीं करता है तो उसे प्रति मास केन्द्रीय सरकार में समुचित रैंक के अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर मकान किराया भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

11. वाहन सुविधा - अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य शासकीय और प्राइवेट प्रयोजन के लिए की जाने वाली यात्राओं के लिए भारत सरकार के स्टाफ कार नियमों के अनुसार स्टाफ कार की सुविधा का हकदार होगा ।

12. चिकित्सा उपचार की सुविधा - अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, केन्द्रीय सरकार अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम नियम, 1954 में यथाउपबंधित या केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा-अवधारित चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा ।

13. पेंशन - अध्यक्ष या कोई ऐसा सदस्य, जो इस रूप में अपनी नियुक्ति के समय केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में था, अपनी नियुक्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रयोग किए जाने वाले अपने विकल्प के अनुसार, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से उस सेवा को, जिसका वह था, लागू नियमों के अधीन अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं लेने का हकदार होगा:

परन्तु ऐसी दशा में, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसका वेतन, कुल पेंशन, जिसमें पेंशन का ऐसा कोई भाग भी है जिसका संराशीकरण किया गया हो, और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं

के समतुल्य पेंशन के समतुल्य रकम घटा दी जाएगी और वह अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं पृथक् रूप से लेने का हकदार होगा ।

(2) यदि अध्यक्ष या कोई ऐसा सदस्य, जो उस रूप में अपनी नियुक्ति के समय केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में था, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो वह उस सेवा को लागू नियमों के अधीन, जिस सेवा से वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व संबद्ध था, पेंशन और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के लिए सदस्य के रूप में अपनी सेवा की गणना करेगा ।

(3) ऐसे किसी अध्यक्ष या सदस्य को, जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करने से ठीक पहले केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी सेवा में नहीं था, कोई पेंशन संदेय नहीं होगी ।

14. **भविष्य निधि** - (1) अध्यक्ष या कोई ऐसा सदस्य, जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में था और जिसने साधारण भविष्य निधि या अंशदायी भविष्य निधि के फायदों को स्वीकार किया था, उस निधि में उस तारीख तक जिसको वह सेवानिवृत्त होता है, उसकी सेवा में उसे लागू नियमों के अनुसार अभिदाय करता रहेगा । अंशदायी भविष्य निधि की दशा में, उस निधि में संदेय नियोजक का अंशदान, आयोग में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख से अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के कार्यकाल के दौरान आयोग द्वारा संदेय होगा ।

स्पष्टीकरण I. इस उपनियम के अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करने वाला सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को लिखित में अपना विकल्प संसूचित करेगा और इस प्रकार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा ।

स्पष्टीकरण II. यदि अपने विकल्प का प्रयोग करने वाले किसी सदस्य ने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त होने पर अंशदायी भविष्य निधि का कोई फायदा प्राप्त कर लिया है तो वह इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह ब्याज सहित सरकारी अंशदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति फायदों का, यदि कोई हैं, एकमुश्त प्रतिदाय नहीं कर देता ।

(2) अध्यक्ष या कोई ऐसा सदस्य, जो ऐसे सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के समय,-

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय या पूर्णतः या सारतः सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी अन्य प्राधिकरण की सेवा में था और जो उस सेवा को, जिससे वह ऐसी नियुक्ति से पूर्व संबद्ध था, लागू नियमों के अधीन अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे लेने का विकल्प करता है या विकल्प किया था, या

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय या पूर्णतः या सारतः सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था और जो इन नियमों के अधीन पेंशन स्कीम के अधीन आने का विकल्प नहीं करता है या नहीं किया था, या

(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय या पूर्णतः या सारतः सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी अन्य प्राधिकरण की सेवा में नहीं था और या तो वह इन नियमों के अधीन किन्हीं पेंशनिक फायदों का हकदार नहीं होता है या इन नियमों के अधीन पेंशन स्कीम के अधीन न आने का विकल्प करता है, अंशदायी भविष्य निधि स्कीम का फायदा स्वीकार करने का हकदार होगा और इस प्रयोजनार्थ वह समय-समय पर यथा-संशोधित अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 द्वारा शासित होगा ।

15. **अवशिष्ट उपबंध** - अध्यक्ष और सदस्यों की वे सेवा-शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, वही होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं ।

[सं. एफ.9-61/90-डब्ल्यू.डब्ल्यू.]
उमा पिल्लै, संयुक्त सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग (सहयोजित सदस्यों को संदेय भत्ते) नियम, 1992

सा.का.नि. 118(अ), तारीख नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1992 - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990(1990 का 20) की धारा 8 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहयोजित सदस्यों को समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए संदेय भत्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1.**संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय महिला आयोग (सहयोजित सदस्यों को संदेय भत्ते) नियम, 1992 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990(1990 का 20) अभिप्रेत है;

ख) "समिति" से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (I) के अधीन नियुक्त कोई समिति अभिप्रेत है ।

3. **भत्ते** - किसी समिति का प्रत्येक सहयोजित सदस्य, यदि वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी संस्था की सेवा में नहीं है, बैठक में प्रत्येक दिन की उपस्थिति के लिए एक सौ पचास रूपए के भत्ते का हकदार होगा ।

4. **यात्रा और दैनिक भत्ते** - किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने वाला प्रत्येक बाहरी सहयोजित सदस्य, यदि वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में नहीं है, नियम 3 के अधीन संदेय भत्तों के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और आदेशों के अधीन प्रथम श्रेणी के सरकारी सेवकों को अनुज्ञेय उच्चतर दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

[सं. एफ.9-61/90-डब्ल्यू.डब्ल्यू.]
उमा पिल्लै, संयुक्त सचिव